दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
पशु चिकित्सा सेवा विभाग
17 वां तल, डॉ एस0 पी0 मुखर्जी मार्ग
सिविक सेंटर, टेलीफोन न0 011–23226724

डेरियों के लाइसेंस लेने हेतु सूचना/अपील

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 07.12.2018 को सार्वजनिक सूचना विभिन्न अखवारो के माध्यम से मदनपुर खादर एवं मसूदपुर कॉलोनी के डेयरी मालिकों से अपील की थी की वो डेयरियो के लाइसेंस दो माह के भितर ले लें। लेकिन अभी तक डेयरी मालिकों ने लाइसेंस नहीं लिये है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत मदनपुर खादर एवं मसूदपुर में दो डेयरी कॉलोनी दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड (DUSIB) दिल्ली सरकार के अधीन चल रही है। दिल्ली में चल रही डेयरी कॉलोनी से संबंधित एक केस "Nugehalli Jayasimha Vs Government of NCT of Delhi" माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) में लम्बित है। दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 की धारा 417 के अनुसार दिल्ली में सभी डेयरी मालिकों/पशु पालको को लाइसेंस लेना आवश्यक है जैसा की दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड (DUSIB) ने अपने पत्र क्रमांक न० R/72/DY.Dir./(CDF)/DUSIB/2018/D-93 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा भी पशु चिकित्सा सेवा विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सूचित किया गया था अतः मदनपुर खादर एवं मसूदपुर डेयरी मालिकों से पुनः अपील की जाती है की वे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से अपनी डेयरी के लाइसेंस इस सार्वजानिक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर ले लें।

मदनपुर खादर डेयरी कॉलोनी के डेयरी मालिक लाइसेंस लेने हेतू अपने आवेदन पत्र उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा विभाग (मध्य क्षेत्र) में तथा मसूदपुर डेयरी कॉलोनी के डेयरी मालिक लाइसेंस लेने हेतू अपने आवेदन पत्र उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा विभाग (दक्षिणी क्षेत्र) में किसी भी कार्य दिवस में दे सकते है। डेयरी मालिक अपनी डेयरी का लाइसेंस दक्षिणी नगर निगम की वेबसाइट **www.mcdonline.gov.in** पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है। उपरोक्त संबंधित क्षेत्रीय उप-निदेशकों (पशु चिकित्सा सेवा विभाग) के टेलीफोन नंबर इस प्रकार है।

1. उप निदेशक (पशु चिकित्सा) दक्षिणी क्षेत्र - 011-26535342
2. उप निदेशक (पशु चिकित्सा) मध्य क्षेत्र - 011-29811765

10/09/20
अतिरिक्त निदेशक-II
पशु चिकित्सा सेवा विभाग